

**Press Release - Date: March 10, 2026 (Hindi & English)**

Office of Brijmohan Agrawal, Member of Parliament, Raipur, Lok Sabha

## **राज्य के 30 जिलों में केंद्र सरकार की अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों का निर्माण करेंगे - बृजमोहन अग्रवाल**

- 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी दोगुनी होने का अनुमान; केंद्र सरकार ने वृद्ध देखभाल पहलों को तेज किया
- फिलहाल देश में 705 वरिष्ठ नागरिक गृह हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में मात्र 3 ऐसे गृह हैं - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

**नई दिल्ली, 10 मार्च 2026** — जैसे-जैसे भारत एक बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव की ओर बढ़ रहा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के बुजुर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वर्तमान जनसांख्यिकीय अनुमानों से संकेत मिलता है कि बुजुर्गों की आबादी 2022 में 10.5% से बढ़कर 2050 तक लगभग 20.8% हो जाएगी, जो अनुमानित 347 मिलियन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस सदी के मध्य तक, हर पांच में से एक भारतीय वरिष्ठ नागरिक होगा। संसद में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने वाले रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस समय की आवश्यकता पर जोर दिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा जी ने बताया कि केंद्र सरकार देश के वृद्धों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि **छत्तीसगढ़ में 30 ऐसे जिले चिन्हित** किये गए हैं जहाँ इस योजना के तहत ऐसी कोई सुविधाएं नहीं हैं।

बृजमोहन ने कहा कि इस योजना के तहत पूरे प्रदेश के हर जिले में सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से ऐसी सुविधा की सुनिश्चितता करेंगे।

### **क्या है अटल वयो अभ्युदय योजना?**

यह अम्ब्रेला योजना देश भर में बुजुर्गों के कल्याण की आधारशिला है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSRc) के तहत, सरकार वर्तमान में देश भर में 705 वरिष्ठ नागरिक गृहों (Senior Citizen Homes) का समर्थन करती है, जिनमें छत्तीसगढ़ में वर्तमान में संचालित तीन गृह शामिल हैं। कम सेवा वाले क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए, मंत्रालय पूरे वर्ष ई-अनुदान (e-Anudaan) पोर्टल के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को पहचाने गए गैप जिलों में घर स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता है।

### **विशेष देखभाल और नवाचार**

सरकार अल्जाइमर और डिमेंशिया से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों, या जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें निरंतर नर्सिंग की आवश्यकता है, उनके लिए देश भर में 13 निरंतर देखभाल गृहों (Continuous Care Homes - CCH) को भी वित्तपोषित करता है। इसके अलावा, AVYAY सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) के माध्यम से अभिनव स्टार्ट-अप समाधानों को बढ़ावा देता है और शिकायत निवारण और जागरूकता के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री प्लेटफॉर्म, एल्डरलाइन (14567) प्रदान करता है।

## स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का 'बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (NPHCE) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर साप्ताहिक जेरियाट्रिक क्लीनिक और जिला अस्पतालों में समर्पित 10-बेड वाले वार्ड प्रदान करके सुलभ स्वास्थ्य देखभाल की गारंटी देता है। साथ ही, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) एक वित्तीय सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जो कमजोर, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के वरिष्ठ नागरिकों को 200 रुपये से 500 रुपये तक की महत्वपूर्ण मासिक पेंशन प्रदान करता है।

केंद्र सरकार के समन्वित प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि जैसे-जैसे भारत एक वृद्ध जनसांख्यिकी में परिवर्तित होता है, राष्ट्र उन पीढ़ियों का सम्मान करने, उनकी रक्षा करने और उनकी देखभाल करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित रहता है जिन्होंने इसका निर्माण किया।

## "Will construct senior citizen homes in 30 districts of the Chhattisgarh under the Central Government's Atal Vayo Abhyudaya Yojana (AVYAY)" - Brijmohan Agrawal

- Elderly population in India projected to double by 2050; Central Government accelerates elder care initiatives
- "Currently, there are 705 senior citizen homes in the country, out of which only 3 such homes are in Chhattisgarh" - Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India

**New Delhi, March 10, 2026** — As India heads towards a major demographic shift, the Ministry of Social Justice and Empowerment has reiterated its commitment to the country's elderly. Current demographic projections indicate that the elderly population will increase from 10.5% in 2022 to approximately 20.8% by 2050, representing an estimated 347 million individuals. By the middle of this century, one in every five Indians will be a senior citizen. Raipur MP Brijmohan Agrawal, who raised this crucial issue in Parliament, emphasized the need of the hour.

Minister of State for Social Justice and Empowerment, Shri B.L. Verma, stated that the Central Government is committed to the welfare of the country's elderly. He also mentioned that 30 such districts have been identified in Chhattisgarh where no such facilities exist under this scheme.

Brijmohan said that under this scheme, such facilities will be ensured in every district of the state through government and non-government organizations.

## **What is the Atal Vayo Abhyudaya Yojana?**

This umbrella scheme is the cornerstone of elderly welfare across the country. Under the Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC), the government currently supports 705 Senior Citizen Homes nationwide, which includes the three homes currently operating in Chhattisgarh. To reach underserved areas, the Ministry invites Non-Governmental Organizations (NGOs) throughout the year via the e-Anudaan portal to establish homes in identified gap districts.

## **Special Care and Innovation**

The government also funds 13 Continuous Care Homes (CCH) across the country for senior citizens suffering from Alzheimer's and Dementia, or those who are severely ill and require continuous nursing. Furthermore, AVYAY promotes innovative start-up solutions through the Seniorcare Aging Growth Engine (SAGE) and provides Elderline (14567), a national toll-free platform for grievance redressal and awareness.

## **Healthcare and Social Security**

The Ministry of Health and Family Welfare's 'National Programme for the Health Care of the Elderly' (NPHCE) guarantees accessible healthcare by providing weekly geriatric clinics at primary health centers and dedicated 10-bed wards in district hospitals. Simultaneously, the National Social Assistance Programme (NSAP), implemented by the Ministry of Rural Development, acts as a financial safety net, providing a crucial monthly pension ranging from ₹200 to ₹500 to vulnerable, Below Poverty Line (BPL) senior citizens.

The Central Government's coordinated efforts ensure that as India transitions into an aging demographic, the nation remains fully equipped to honor, protect, and care for the generations that built it.

भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं :.2844  
उत्तर देने की तारीख :10.03 2026.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम

2844. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में देश में 'वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम' (आईपीएसआरसी) के अंतर्गत संचालित वृद्धाश्रमों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ में ऐसे किन्हीं "सुविधा से वंचित जिलों" की पहचान की है जहां वर्तमान में कोई सरकारी सहायता प्राप्त वृद्धाश्रम मौजूद नहीं है और यदि हां, तो उक्त कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्तमान मिशन चक्र के अंतर्गत भारत और छत्तीसगढ़ में अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया (स्मृति लोप) से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापित विशेष इकाइयों की संख्या कितनी है;
- (घ) क्या सरकार भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में बुजुर्गों को देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने हेतु "प्रत्यक्ष लाभ" या "सार्वजनिक-निजी भागीदारी" मॉडल की ओर बढ़ने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश में वरिष्ठ नागरिकों की निरंतर बढ़ती संख्या के कल्याण के लिए विभिन्न पहलों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री  
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के एक घटक, एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कुल

705 वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहायता प्रदान की जा रही है। इन वरिष्ठ नागरिक गृहों की राज्य-वार सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख): एवीवाईवाई योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसा जिला जहां राज्य सरकार द्वारा किए गए जिला-वार सर्वेक्षण के अनुसार कोई वरिष्ठ नागरिक गृह नहीं है, को गैप जिला कहा जाता है। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ राज्य में 30 गैप जिले हैं। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ में आईपीएसआरसी के तहत तीन वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए, यह विभाग वरिष्ठ नागरिक गृहों के चयन के लिए पूरे वर्ष ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से इन कमी वाले जिलों में वरिष्ठ नागरिक गृहों की परियोजनाओं को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से आवेदन आमंत्रित करता है।

(ग): आईपीएसआरसी के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को उन वरिष्ठ नागरिकों, जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें सतत परिचर्या और राहत की आवश्यकता है अथवा जो अल्जाइमर रोग/डिमेंशिया से पीड़ित हैं, के लिए सतत देखभाल गृहों (सीसीएच) के संचालन और मेन्टेनेंस के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। देश में कुल 13 सतत देखभाल गृह (सीसीएच) हैं जिन्हें आईपीएसआरसी के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ राज्य में आईपीएसआरसी के अंतर्गत किसी भी सतत देखभाल गृह को सहायता नहीं दी जा रही है।

(घ): वर्तमान में विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईवाई) नामक एक व्यापक योजना कार्यान्वित कर रहा है। योजना का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए 2010-11 में "वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एनपीएचसीई) भी शुरू किया था। एनपीसीएचई का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) कार्यान्वित करता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समाज के सबसे कमजोर व्यक्तियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, चाहे लाभार्थियों की श्रेणी कुछ भी हो। एनएसएपी का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2844 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

(i) एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों और सतत देखभाल गृहों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	वरिष्ठ नागरिक गृह की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	90
2	अरुणाचल प्रदेश	4
3	असम	40
4	बिहार	8
5	छत्तीसगढ़	3
6	दिल्ली	2
7	गोवा	1
8	गुजरात	5
9	हरियाणा	14
10	हिमाचल प्रदेश	5
11	जम्मू-कश्मीर	13
12	झारखंड	15
13	कर्नाटक	42
14	केरल	8
15	मध्य प्रदेश	32
16	महाराष्ट्र	72
17	मणिपुर	41
18	मेघालय	2
19	मिजोरम	1
20	नागालैंड	12
21	ओडिशा	86
22	पुडुचेरी	2
23	राजस्थान	23
24	तमिलनाडु	75
25	तेलंगाना	22
26	त्रिपुरा	4
27	उत्तर प्रदेश	49
28	उत्तराखंड	4
29	पश्चिम बंगाल	30
30	कुल योग	705

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2844 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है.  
के भाग (ड) में संदर्भित अनुलग्नक

एवीवाईएवाई योजना के तहत घटकों का विवरण इस प्रकार है-

- i. आईपीएसआरसी (एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम) - आईपीएसआरसी के तहत, वरिष्ठ नागरिक गृहों, सतत देखभाल गृहों, मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों और फिजियोथेरेपी क्लिनिकों के रखरखाव के लिए संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हुए तथा उपयोगी और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- ii. एसएपीएसआरसी (वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना) - भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका मानती है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं और अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपनी स्वयं की राज्य कार्य योजनाएं तैयार करें। एसएपीएसआरसी के तहत, यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करता है। एसएपीएसआरसी को वित्त वर्ष 2019-20 से लागू किया जा रहा है।
- iii. आरवीवाई (राष्ट्रीय वयोश्री योजना) - इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और जिनकी पारिवारिक आय 15,000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है के लिए शारीरिक सहायता उपकरण और जीवन सहायक यंत्र प्रदान करना है। यह योजना 2017 से लागू की जा रही है।
- iv. एल्डरलाइन- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जा रहे विभिन्न अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करता है और देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करता है।
- v. वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण- इसका मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को पाटना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक प्रोफेशनल सेवाएं प्रदान की जा सकें और वृद्धावस्था के क्षेत्र में प्रोफेशनल तरीके से देखभाल करने वालों का एक कैंडर भी बनाया जा सके। वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों की भारी कमी और बाजार में बढ़ती उनकी मांग

को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने इस मांग को पूरा करने के लिए वृद्धावस्था सेवा प्रदाता के क्षेत्र में 1,00,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।

- vi. वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल- वृद्धावस्था को स्वाथ्यकर और उपयोगी बनाने के लिए देश भर में कई पहलें की जा रही हैं। प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य ज्ञानवर्धन के क्षेत्र में वृद्धजनों को शामिल करना है जो समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।
- vii. सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (सेज) - इसका मुख्य उद्देश्य आमतौर पर सामने आ रही समस्याओं के लिए असाधारण और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। इसके लिए अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2844 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है.  
के भाग (ड) में संदर्भित अनुलग्नक

एनपीएचसीई सरकार की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की अभिव्यक्ति है, जैसा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी), 1999 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) और “माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम”, 2007 की धारा 20 के तहत परिकल्पित है। एनपीएचसीई का उद्देश्य वृद्धजनों को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दीर्घकालिक, व्यापक और समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

**कार्यक्रम के घटक:**

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) घटक: जिला अस्पतालों (डीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), उप-केंद्र/स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक-द्वितीयक देखभाल सेवा वितरण।
2. तृतीयक घटक (राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना) ये सेवाएं 17 मेडिकल कॉलेजों और दो नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग (एनसीए) में स्थित क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जो एक एम्स, अंसारी नगर, नई दिल्ली में और दूसरी मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में है।
3. अनुसंधान: भारत में एक अधोमुखी वृद्धावस्था अध्ययन (एलएएसआई) परियोजना: - एलएएसआई भारत में वृद्ध व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), मुंबई के माध्यम से किया जा रहा है।

**सेवाओं का पैकेज:** वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रावधान के लिए कार्यक्रम के दो घटक हैं: जिला/उप-जिला स्तर का घटक और तृतीयक स्तर का घटक। दोनों स्तरों पर वृद्धजनों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पैकेज नीचे दिया गया है।

**उप केंद्र:**

- क. स्वस्थ वृद्धावस्था, पर्यावरण संशोधन, पोषण संबंधी आवश्यकताओं, जीवन शैली और व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा।
- ख. घर में सीमित/बिस्तर पर पड़े वृद्धजनों पर विशेष ध्यान देना और दिव्यांग वृद्धजनों की देखभाल करने के लिए परिवार स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: एक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी (एमओ) द्वारा साप्ताहिक जराचिकित्सा क्लिनिक। सेवाओं में शामिल होंगे: वृद्धजनों का स्वास्थ्य मूल्यांकन करना और बल्डशुगर सहित सरल जांच करना, आदि।

### सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

- क. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षित स्टाफ और पुनर्वास कार्यकर्ता द्वारा सप्ताह में दो बार जराचिकित्सा क्लिनिक और पुनर्वास सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी।
- ख. शय्याग्रस्त वृद्धजनों के लिए पुनर्वास कार्यकर्ता द्वारा घर का दौरा किया जाएगा और ऐसे रोगियों की देखभाल के लिए परिवार के सदस्यों को परामर्श दिया जाएगा।

### जिला अस्पताल:

- क. समर्पित वृद्धावस्था ओपीडी सेवाएं, 10 बिस्तरों वाले वृद्धावस्था वार्ड के माध्यम से इन-डोर दाखिला, प्रयोगशाला जांच और पुनर्वास सेवाएं।
- ख. सीएचसी/पीएचसी आदि द्वारा रेफर किए गए वृद्ध रोगियों के लिए सेवाएं प्रदान करना और गंभीर मामलों को तृतीयक स्तर के अस्पतालों में रेफर करना।

### तृतीयक स्तर

#### (क) क्षेत्रीय वृद्धावस्था केंद्र:

- क. मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और नीचे से रेफर किए गए जटिल/गंभीर वृद्धावस्था मामलों के लिए तृतीयक स्तर की सेवाएं प्रदान करना।
- ख. जेरियाट्रिक मेडिसिन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करना। प्रत्येक आरजीसी हर वर्ष 2 स्नातकोत्तर (एमडी जराचिकित्सा) तैयार करेगा।
- ग. चिन्हित जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना
- घ. प्रशिक्षण मॉड्यूल, दिशानिर्देश और आईईसी सामग्री तैयार करना/और अद्यतन करना।
- ङ. विशिष्ट वृद्धजन रोगों पर शोध।

#### (ख) नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग

- क. चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विषयों से जुड़े बहु-विषयक नैदानिक सेवाओं के साथ उच्च स्तरीय तृतीयक देखभाल।

- ख. विभिन्न नैदानिक विषयों में विशेष ओपीडी देखभाल। मेमोरी क्लिनिक, फॉल एंड सिंकोप क्लिनिक, कमजोर वृद्धजन क्लिनिक, सहायता और उपकरण क्लिनिक, प्रत्यारोपण और कॉस्मेटिक क्लिनिक जैसे विशेष क्लीनिक।
- ग. डे केयर सेंटर: जांच, पुनर्वास, राहत देखभाल, मनोभ्रंश देखभाल, सतत देखभाल के लिए
- घ. भर्ती रोगी की देखभाल के लिए: गहन देखभाल, एक्यूट पुनर्वास, नैदानिक और चिकित्सीय सेवाएं, दीर्घकालिक पुनर्वास सेवा।
- ड. वृद्धावस्था चिकित्सा की सभी उप-विशिष्टताओं में मानव संसाधन विकास
- च. देश में प्रचलित वृद्धावस्था रोगों के लिए साक्ष्य आधारित उपचार प्रोटोकॉल तैयार करना।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2844 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है,  
के भाग (ड) में संदर्भित अनुलग्नक

एनएसएपी कार्यक्रम के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों और एनएसएपी दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वालों के लिए, पेंशन के रूप में 200/- रुपये से 500/- रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ऐसे परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, शोक संतप्त परिवार को 20,000/- रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत एक घटक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को 200/- रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है।

\*\*\*\*\*

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT  
LOK SABHA**

**UNSTARRED QUESTION NO. 2844  
TO BE ANSWERED ON 10.03.2026**

**INTEGRATED PROGRAMME FOR SENIOR CITIZENS**

**2844. SHRI BRIJMOHAN AGRAWAL:**

**Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:**

- (a) the current number of operational Senior Citizen Homes under the Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC) in the country, State-wise;
- (b) whether the Government has identified any "Zero-Facility Districts" in Chhattisgarh where no Government-aided senior citizen home currently exists and the steps being taken to bridge this gap, if so, the details thereof;
- (c) the number of specialized units established for senior citizens afflicted with Alzheimer's disease and Dementia in India and Chhattisgarh under the current mission cycle;
- (d) whether the Government is planning to move towards a "Direct Benefit" or "Public-Private Partnership (PPP)" model to reduce the heavy dependency on NGOs for the delivery of elderly care services in remote areas of India, if so, the details thereof; and
- (e) the details of the various initiatives and schemes for the welfare of growing senior citizens in the country?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

**(SHRI B.L.VERMA)**

(a): There are a total of 705 Senior Citizen Homes being supported by the Department of Social Justice and Empowerment under the Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC), a component of Atal Vayo Abhudaya Yojana (AVYAY). The State-wise list of these Senior Citizen Homes is at **Annexure-I**.

(b): As per AVYAY scheme guidelines, a district where no Senior Citizen Home is found as per the District-wise survey conducted by the State Government, is termed as a Gap district. At present, there are 30 Gap Districts in the State of Chhattisgarh. Currently, there are three Senior Citizen Homes being assisted under IPSrC in Chhattisgarh. To bridge this gap, this Department invites applications from Non-Governmental Organizations (NGOs) for running projects of Senior Citizen Homes in these gap districts through the e-Anudaan portal throughout the year, for selection of Senior Citizen Homes.

(c): Under IPSrC, financial assistance is also provided to the NGOs for running and maintenance of Continuous Care Homes (CCH) for the Senior Citizens who are seriously ill and require continuous nursing care and respite or those who are afflicted with Alzheimer's disease/ Dementia. There are a total of 13 Continuous Care Homes (CCH) in the country which are being assisted under IPSrC. At present, there is no CCH being assisted under IPSrC in the State of Chhattisgarh.

(d): No such proposal is presently under consideration in the Department.

(e): The Department of Social Justice and Empowerment is implementing an umbrella scheme, namely **Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY)** for the welfare of senior citizens across the country. The brief of the scheme is at **Annexure-II**.

Further, the Ministry of Health & Family Welfare had also launched a "National Programme for Health Care of the Elderly" (NPHCE) in 2010-11 to address various health related issues of elderly people. The details of NPCHE are at **Annexure-III**.

The Ministry of Rural Development implements National Social Assistance Programme (NSAP), a social security programme for the most vulnerable persons of society living below poverty line, both in rural and urban areas irrespective of the category of the beneficiaries. The details of NSAP are at **Annexure-IV**.

**Annexure referred to in reply to part (a) of Lok Sabha Unstarred Question no. 2844 to be answered on 10.03.2026**

**(i) Statewise Number of Senior Citizen Homes and Continuous Care Homes under Integrated Programme for Senior Citizens:**

Sl. No.	State	Number of Senior Citizens Home
1	Andhra Pradesh	90
2	Arunachal Pradesh	4
3	Assam	40
4	Bihar	8
5	Chhattisgarh	3
6	Delhi	2
7	Goa	1
8	Gujarat	5
9	Haryana	14
10	Himachal Pradesh	5
11	Jammu And Kashmir	13
12	Jharkhand	15
13	Karnataka	42
14	Kerala	8
15	Madhya Pradesh	32
16	Maharashtra	72
17	Manipur	41
18	Meghalaya	2
19	Mizoram	1
20	Nagaland	12
21	Odisha	86
22	Puducherry	2
23	Rajasthan	23
24	Tamil Nadu	75
25	Telangana	22
26	Tripura	4
27	Uttar Pradesh	49
28	Uttarakhand	4
29	West Bengal	30
30	<b>Grand Total</b>	<b>705</b>

**Annexure referred to in reply to part (e) of Lok Sabha Unstarred Question no. 2844 to be answered on 10.03.2026.**

Details of components under AVYAY scheme are as follows-

- i. **IPSRc(Integrated Programme for Senior Citizens)-** Under IPSrC, grant-in-aid is provided to the organisations for maintenance of Senior Citizen Homes (Sr.CH), Continuous Care Homes (CCH), Mobile Medicare Units (MMU) and Physiotherapy Clinics. The objective of the scheme is to improve the quality of life of the Senior Citizens, especially indigent senior citizens by providing basic amenities like shelter, food, medical care and entertainment opportunities and by encouraging productive and active ageing.
- ii. **SAPSRc (State Action Plan for Senior Citizens)-** The Government of India perceives a major and critical role of all the States/ UTs Governments in welfare of senior citizens. Each State/UT is expected to plan taking into account their local considerations and frame their own State Action Plans for the welfare of their senior citizens. Under SAPSRc, the Ministry releases funds to the States/UTs for implementation of their action plans. SAPSRc is being implemented since FY 2019-20.
- iii. **RVY (Rashtriya Vayoshri Yojana)-** The scheme aims for providing Physical Aids and Assisted Living Devices for Senior Citizens below poverty line and with the family income not exceed to Rs. 15,000/-per month. The scheme is being implemented since 2017.
- iv. **Elderline-** The National Helpline for Sr Citizens (14567) is to generate awareness about the Act, Schemes & Programmes being executed by different Central & State Governments and to provide platform to redress grievances of Sr Citizens across the country.
- v. **Training of Geriatric Care Givers-** The main objective is to bridge the gap in supply and increasing demand in the field of geriatric caregivers so as to provide more professional services to the senior citizens and also to create a cadre of professional care givers in the field of geriatrics. Considering the acute shortage of Geriatric Caregivers and the increasing demand in the market, the Department has decided to trained 1,00,000 trainees in the field of Geriatric Care givers in order to meet the demand.
- vi. **Other Initiatives for Senior Citizens-** In order to solve the problems of healthy and productive ageing, several initiatives are being done across the country. The proposed initiatives are aimed at involving the elders in building up knowledge which can be useful for the society as a whole.
- vii. **Seniorcare Ageing Growth Engine (SAGE)-** The main objective is to promote out-of-the-box and innovative solutions for the commonly faced problems, innovative start-ups would be identified and encouraged for developing products, processes and services for the welfare of the elderly.

**Annexure referred to in reply to part (e) of Lok Sabha Unstarred Question no. 2844 to be answered on 10.03.2026.**

The NPHCE is an articulation of the International and national commitments of the Government as envisaged under the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), National Policy on Older Persons (NPOP) adopted by the Government of India in 1999 & Section 20 of "The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007" dealing with provisions for medical care of Senior Citizens. The objective of NPHCE is to provide accessible, affordable, and high-quality long-term, comprehensive and dedicated healthcare services to the elderly.

**Components of the Program:**

1. National Health Mission (NHM) Component: Primary & Secondary care service delivery through District Hospitals (DH), Community Health Centres (CHC), Primary Health Centres (PHC), Sub-Centre/Health & Wellness Centres.
2. Tertiary Component: ('Rashtriya Varisth Jan Swasthya Yojana') These services are being provided through Regional Geriatric Centres (RGCs) located at 17 Medical colleges and two National Centres of Aging (NCAs) one in AIIMS, Ansari Nagar, New Delhi and another in Madras Medical College, Chennai.
3. Research: A Longitudinal Ageing Study in India (LASI) project:-The LASI is a nationally representative survey of older persons in India is being undertaken through International Institute of Population Sciences (IIPS), Mumbai.

**Package of Services:** The program has two components for provision of geriatric health care services i.e: district/ sub-district level component and tertiary level component. The package of services provided to elderly people at both levels is as given below.

**Sub Centre:**

- a. **Health Education** related to healthy ageing, environmental modifications, nutritional requirements, life styles and behavioural changes.
- b. **Special attention to home bound / bedridden** elderly persons and provide training to the family health care providers in looking after the disabled elderly persons.

**Primary Health Centre: Weekly geriatric clinic** by a trained Medical Officer (MO). Services would include: conducting **health assessment** of the elderly persons and simple investigation including blood sugar, etc.

**Community Health Centre**

- a. **Biweekly geriatric Clinic and Rehabilitation services** to be arranged by trained staff and rehabilitation worker at CHCs.
- b. **Domiciliary visits** by the rehabilitation worker will be undertaken for bed-ridden elderly and counseling to family members for care such patients.

## **District Hospitals:**

- a. Dedicated Geriatric OPD services, In-door admissions through 10 bedded geriatric ward, laboratory investigations and rehabilitation services.
- b. Provide services for the elderly patients referred by the CHCs/PHCs etc. and refer severe cases to tertiary level hospitals.

## **Tertiary Level**

### **(A) Regional Geriatric Centers:**

- a. Provide **tertiary level services for complicated/serious Geriatric Cases** referred from Medical Colleges, District Hospitals and below.
- b. Conduct **post graduate courses in Geriatric Medicine**. Each RGC to produce 2 post graduates (MD geriatrics) every year.
- c. Providing **training** to the trainers of identified District hospitals and medical colleges
- d. Developing/and updating Training modules, guidelines and **IEC materials**.
- e. **Research** on specific elderly diseases.

### **(B) National Center of Ageing**

- a. High level tertiary care with **multidisciplinary clinical services** involving medical and surgical disciplines.
- b. **Specialised OPD care** in various clinical disciplines. Special clinics like memory clinic, fall and syncope clinic, frail elderly clinic, aids and appliances clinic, implants and cosmetic clinic.
- c. **Day care centre for:** Investigations, rehabilitation, respite care, dementia care ,continence care
- d. **In patient care for:** Intensive care, acute rehabilitation, diagnostic and therapeutic services, long term rehabilitation service.
- e. **Human resources development in all sub-specialties of Geriatric Medicine**
- f. Developing **evidence based treatment protocols** for Geriatric diseases prevalent in the country.

**Annexure-IV**

**Annexure referred to in reply to part (e) of Lok Sabha Unstarred Question no. 2844 to be answered on 10.03.2026.**

Under the NSAP programme, the old aged, widows, and disabled persons belonging to Below Poverty Line (BPL) and fulfilling eligibility criteria prescribed in the NSAP guidelines, are provided financial assistance, in form of pension, ranging from Rs.200/- to Rs.500/- p.m. and in the case of death of the breadwinner of such family, lump sum assistance of Rs. 20,000/- is given to the bereaved family. One of the components under the scheme is Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme under which assistance of ₹ 200/- per month to persons in the age group of 60-79 years is provided and ₹ 500/- per month to persons of 80 years and above is provided.

\*\*\*\*\*